

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 01 / 2023

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2023 / 225

**बउनवान**

अताउल्लाखान पुत्र असदुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी हाथी खाने के पास छबडा जिला बारों (राज.)  
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारों
2. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग छबडा जिला बारों
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग छबडा जिला बारों
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारों

(अप्रार्थीगण)

**किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम, 1970**

उपस्थित :- 1- श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक

(प्रार्थी)

2- परोकार सरकार

(अप्रार्थी क्रम 01 ता 04)

**निर्णय दिनांक 30.04.2025**

प्रार्थी द्वारा जयें विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम, 1970 के तहत उप जिला कलक्टर, छबडा द्वारा थानाधिकारी थाना छबडा के आवेदन पर राज0 भू0 राजस्व आवंटन नियम 1963 संशोधित अधिसूचना जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4-6 (10) राजस्व/6-992 दिनांक 13.02.2002 के अनुसरण मे कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 609 मे से 3 बिस्वा भूमि पुलिस चौकी छबडा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन आदेश क्रमांक/आवंटन/04/2222-28 दि. 22.12.2004 से आवंटन की गई। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग छबडा के आवेदन पर कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 609 मे से 3 बिस्वा भूमि सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग छबडा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु उप जिला कलक्टर छबडा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक/आवंटन/04/2210-15 दिनांक 22.12.2004 से आवंटन की गई। इसी प्रकार ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी छबडा के आवेदन पर कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 609 मे से 6 बिस्वा भूमि शिक्षा विभाग छबडा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु उप जिला कलक्टर छबडा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक/आवंटन/04/2216-21 दिनांक 22.12.2004 से आवंटन की गई जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 25.02.2005 को प्रकरण संख्या 02/2005 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 की ओर से परोकार सरकार उपस्थिति दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई, जो इस न्यायालय में उप जिला कलक्टर, छबडा से प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण से जवाब लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। इसी दौरान प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा मे इस प्रकरण को स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो खारिज किये जाने पर, उसकी अपील न्यायालय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे किये जाने पर, उनके द्वारा अपील को उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 5611/2010 दर्ज रजिस्टर किया जाकर, इस न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई और निर्णय दिनांक 15.12.2022 से इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने हेतु आदेशित किया गया। निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक/राम/न्याय/मुन्तकिली टीए/2010/5611/बारों/दिनांक 10.01.2003 से इस न्यायालय की मूल पत्रावली वापिस भिजवाई गई।

इस पर प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 01/2023 दिनांक 17.01.2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 की ओर से पेरोंकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में तहसीलदार छबडा से विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट तलब की गई। जो कार्यालय तहसीलदार छबडा के पत्रांक/भू.अ./2024/3896 दिनांक 12.07.2024 से मय नक्शा, जमाबन्दी की प्रतियों के साथ प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई।

**प्रार्थी के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस लिखित बहस के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि उप जिला कलेक्टर छबडा द्वारा दिनांक 22.12.2004 को कस्बा माल छबडा की आराजी खसरा नम्बर 609 की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पक्ष में आवंटन की है। उक्त आवंटन आदेश प्रार्थी ने निम्न प्रकार से निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। यह कि खसरा नम्बर 609 जो स्टेशन रोड छबडा के पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना नक्शे में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 609 के पश्चिम में स्टेशन रोड छबडा गुगोर जाता है। इस रोड को सन् 1980 में चौड़ा 18 मीटर किया जाकर बीच में डिवाइडर डाला गया है। इसी रोड से एक रोड गुगोर रोड को जाता है। इसके पश्चिम में खसरा नम्बर 621 स्थित है। स्टेशन रोड को चौड़ा करने पर खसरा नम्बर 609 जो सड़क के पूर्वी तरफ था उसमें से कुछ हिस्सा सड़क में सम्मिलित कर लिया गया तथा खसरा नम्बर 609 का शेष हिस्सा तत्कालीन नगर पालिका चैयरमैन द्वारा अतिक्रमण करके शेष भाग पर श्री नाथूलाल ने दुकाने बना दी है। कुछ दुकानें व राधा कृष्ण मंदिर बना कर अतिक्रमण कर लिया है।

यह कि माल छबडा की आराजी खसरा नम्बर 621 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा चारागाह भूमि राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रिको एरिया हेतु उक्त आराजी सन् 1980 में रिको को स्टेट डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड उद्योग विभाग कोटा जयपुर को दे दी गई, दिनांक 22.01.1980 को ही राजस्व अधिकारियों द्वारा रिको को कब्जा व दखल दे दिया गया, इसके बाद रिको ने प्लाट बनाकर नक्शानुसार भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी को प्लाट नम्बर एच-2 व एच-3 दिये जाकर उस पर दखल दिया गया जिस पर प्रार्थी ने निर्माण करके अपना व्यवसाय चालू कर रखा है। चूंकि नगर पालिका छबडा के तत्कालीन चैयरमैन श्री नाथूलाल गुप्ता के विरुद्ध नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके दुकाने व मकान बनाने की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने के कारण मुझसे रंजिश रखते हैं, इसी कारण मेरे विरुद्ध रिको में मेरे स्वामित्व प्लाट नं. एच-2 व एच-3 पर गलत नापतोल कर खसरा नम्बर 609 इसे मानकर मुझे परेशान कर रहे हैं। जबकि खसरा नम्बर 609 नक्शे में सड़क के पूर्व दिशा में है, जो कुछ हिस्सा सड़क में चला गया है और कुछ हिस्से पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर दुकाने बना रखी है, मेरे भूखण्ड रिको में एच-2 व एच-3 पर खसरा नम्बर 621 है, जो स्टेशन छबडा गुगोर रोड सड़क से पश्चिम में है। उक्त दोनों भूखण्डों के आवंटन का क्षेत्रफल 50 गुणा 20 कुल 1000 मीटर है, खसरा नंबर 609 का प्रार्थी के भूखण्ड खसरा नम्बर 621 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह कि सिविल न्यायालय छबडा में अप्रार्थी क्रम-3 रिको की ओर से निदेशक स्टेट इण्डस्ट्रीयन डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रिको) कार्यालय उद्योग भवन जयपुर ने जवाब पेश किया है और जवाब में वर्णित किया है कि खसरा नम्बर 621 में प्लाट नम्बर एच-2 व एच-3 प्रार्थी को आवंटन कर कब्जा दिया गया है। रिको ने 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि को भूखण्ड बनाकर एच-1 से जी-1-40 प्लाट बनाकर आवंटन किये हैं। जिस पर समस्त आवंटियों ने निर्माण करके अपने व्यवसाय स्थापित किये हैं और आज भी काबिज होकर व्यवसाय कर रहे हैं। सभी आवंटियों के पक्के निर्माण होकर अपने व्यवसाय कर रहे हैं। यह कि आवंटन आदेश दिनांक 22.12.2004 को बताया गया है कि जबकि आवंटन अधिकारी उप जिला कलेक्टर छबडा का प्रशासन आपके द्वारा वर्ष 2004 में ग्राम चाचौडा केम्प में थे, अतः उक्त आवंटन आदेश निरस्त होने योग्य है। यह कि श्री नाथूलाल गुप्ता पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका छबडा ने खसरा नम्बर 609 रोड के बाद शेष भूमि पर दुकाने व मंदिर राधाकिशन बनाकर कब्जा कर रखा है, जो करीब 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है तथा खसरा नम्बर 621 की पार्क की भूमि जो रोड से पश्चिम में है, उसमें भी दुकाने बनाकर कब्जा कर रखा है, उक्त ओक्यूपाईड भूमि का आवंटन विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

यह कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत उप जिला कलेक्टर छबडा को आबादी विकास हेतु नगर पालिका की भूमि का आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह अधिकार धारा 102-ए के तहत सरकार में निहित है ऐसी स्थिति में किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थी खसरा नम्बर 621 के भूखण्ड संख्या एच-2 व एच-3 पर लगभग 44 वर्षों से काबिज चला आ रहा है, रंजिशवश प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है, खसरा नम्बर 609 की भूमि न तो खसरा नम्बर 621 के पास है, बल्कि बीच में छबडा स्टेशन रोड 18 मीटर चौड़ाई में ड्रिवाइडर बीच में बना हुआ है रोड के पूर्व में खसरा नम्बर 609 अवस्थित था जो रोड चौड़ा होने पर उसमें कुछ भाग मिला लिया है शेष भाग पर पूर्व चैयरमेन नगर पालिका छबडा श्री नाथूलाल ने अतिक्रमण करके दुकाने व राधाकिशन मंदिर बनाकर कब्जा कर रखा है ऐसी स्थिति में ओक्यूपाईड भूमि का आवंटन विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि आवंटीगण का आज तक आवंटित भूमि पर काबिज नहीं हुए है। आवंटन शर्तों का उल्लंघन होने से आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है।

यह कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को जो आवंटन किया गया है उनके पास पहले से ही लम्बे चौड़े सरकारी कार्यालय व निवास बने हुए हैं, जिनमें अपने-अपने कार्यालय चल रहे हैं और उनमें खाली भूमि स्थित है उन्हें तथाकथित आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्होंने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं बिना आवेदन किया गया आवंटन निरस्तनीय है। यह कि खसरा नम्बर 621 जिसमें रिको ने नक्शा ट्रेस बनाकर प्लॉट संख्या एच-1 लगायत जी-1-40 काटे हैं, इसके बाद गुगोर रोड से पश्चिमी ओर ओपन पार्किंग की भूमि छोड़ी थी, उसमें तत्कालीन चैयरमेन नगर पालिका छबडा श्री नाथूलाल गुप्ता ने अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया है तथा शेष भूमि अग्रसेन कॉलोनी काटकर प्लॉटों का विक्रय कर दिया है, जिस बाबत शिकायत करने पर प्रार्थी के रजिस्ट्रीशुदा भूखण्डों को खसरा नम्बर 609 बता रहे हैं जबकि खसरा नम्बर 609 को रोड के पश्चिम में होने का राजस्व नक्शानुसार प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, आवंटन अधिकारी छबडा द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थी ने दीवानी वाद सिविल न्यायालय छबडा में कर रखे हैं जिसमें कमिश्नर साहब ने मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी सर्टीफाईड नकल पेश की जा रही है। अपर जिला न्यायाधीश छबडा जिला बारों में प्रकरण संख्या 31/2019 विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण के भूखण्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को किये गये आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जावे।

**अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की ओर से परोकार सरकार** द्वारा प्रकरण में तहसीलदार छबडा के पत्रांक/भू.अ./2024/3896 दिनांक 12.07.2024 से प्राप्त विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट मय नक्शा मय जमाबंदियों का अवलोकन करवाते हुये कथन किया कि कस्बा छबडा की भूमि खसरा नम्बर 609/1 रकबा 0.0759 है। भूमि शिक्षा विभाग कार्यालय भवन छबडा, खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.0379 हेक्टर पुलिस चौकी कार्यालय भवन छबडा तथा खसरा नम्बर 609/3 रकबा 0.0379 हेक्टर सहायक अभियन्ता कार्यालय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग छबडा के नाम खाता दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त तीनो विभागों का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। विभागों को आवंटित भूमि के कुछ हिस्से पर इंटरलॉकिंग रास्ता बना हुआ है। शेष भूमि पर अताउल्ला व नन्दकिशोर का पक्का मकान बना हुआ है। सरकारी भूमि का सरकारी कार्यालयों को किया गया आवंटन आदेश निरस्त करवाये जाने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

**प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक एवं परोकार सरकार** की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 5611/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 से इस न्यायालय को आदेशित किया गया है कि यदि उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी जमीन का आवंटन किया जाता है तो उस आवंटन के विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय में करने का प्रावधान है और ऐसी स्थिति में उस आवंटन की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु सिविल न्यायालय को भेजने की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है लेकिन सिविल न्यायालय के कोई भी आदेश प्राप्त होते हैं तो उसके अनुसार ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारों कार्यवाही कर सकेगा। सिविल न्यायालय के निर्णय तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारों के न्यायालय में

विचाराधीन प्रकरणों की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का भी कोई आधार नहीं है क्योंकि आवंटन की अपील आवंटन नियमों के अनुसार राजस्व न्यायालय ही सुन सकता है। इसलिए भी इस प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अवैधता नहीं है और हस्तक्षेप का आधार भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में सरकारी कार्यालयों को किए गए आवंटन आदेशों को निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उक्त आवंटन सरकारी कार्यालयों को राज0 भू0 राजस्व आवंटन नियम 1963 संशोधित अधिसूचना जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4-6 (10) राजस्व /6-992 दिनांक 13.02.2002 के अनुसरण में किये गये हैं तथा उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किए जाने का श्रवणाधिकार भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को है जबकि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम, 1970 गलत अंकित किया गया है जो राजकीय कार्यालयों को किए गए उक्त आवंटन आदेशों पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन नियम एवं कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम पृथक-पृथक हैं। उनके आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु न्यायालयों को श्रवणाधिकार क्षेत्र भी पृथक-पृथक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारों में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 सरकारी कार्यालयों को सरकारी भूमि के किये गये आवंटन आदेशों को खारिज किये जाने पर विचार किया जा सके। प्रकरण में प्रार्थी के भूखण्ड के एवं अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के खसरा नम्बर पृथक-पृथक हैं। वर्तमान में प्रकरण अपर जिला न्यायाधीश छबडा जिला बारों में प्रकरण संख्या 31/2019 पर विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी के भूखण्डों की स्थिति यथावत बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर  
बारों